WWW.LIVELAW.IN

महत्वपूर्ण/कोविड–19
संख्या– 759/पाँच–5/2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5

लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2020

विषयः–लॉक डाउन के दौरान प्रदेश में निजी चिकित्सालयों को खोलने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–746/पाँच–5/2020, दिनांक 30.03.2020 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से लॉक डाउन के दौरान प्रदेश के निजी चिकित्सालयों के संबध में कतिपय निर्देश दिये गये है।

2– इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उपरिसन्दर्भित पत्र में अपेक्षित कार्यवाही के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

(1) सभी निजी चिकित्सालयों को न्यूनतम स्टाफ के साथ प्रशासन द्वारा निर्धारित घण्टों के लिए खोले जाएगें।

(2) निजी चिकित्सालयों के चिकित्सकों द्वारा Home visit कर भी मरीजों को देखा जाएगा।

(3) मरीजों को टेलीफोन के माध्यम से भी परामर्श दिया जा सकता है।

(4) प्रशासन द्वारा निजी चिकित्सालयों में कार्यरत डाक्टर, नर्स एवं सहयोगी स्टाफ को आवश्यकतानुसार वाहन पास निर्गत किये जायं।

(5) सामान्य मरीजों (Routine cases)के लिए ओ0पी0डी0 नहीं होगी परन्तु इमरजेन्सी केसेज देखे जाएगें। निजी चिकित्सक/चिकित्सालय के फोन नम्बर ना जन सामान्य के लिए उपलब्ध कराये जाएं।

3– कृपया उक्त के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या– 759(1)/पांच–5–2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

आज्ञा से,

31.3.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।